5-88/08

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना

—: आदेश :—

26-03-2013

शस्त्र अपील वाद संख्या–587/2007 में आवेदक **श्री मधुमेश चौधरी,** पिता–श्री तारकेश्वर प्रसाद चौधरी, ग्राम– "आवरण" चौधरी मार्केट, बी0एन0 कॉलेज के सामने, थाना–पीरबहोर, जिला–पटना के नाम एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–294/2006 में पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय (शस्त्र अपील) वाद संख्या–587/2007 में दिनांक–21.12.2010 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्विचार हेतु यह वाद प्रारम्भ किया गया।

आवेदक अनुपस्थित। आवेदक द्वारा समर्पित लिखित बयान से ज्ञात होता है कि कपड़े का व्यवसाय करते हैं। आवेदक को पूर्व से हीं रायफल का अनुज्ञप्ति प्राप्त है। पुनः सुरक्षा का आकलन कर एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर हेतु स्पष्ट मंतव्य की माँग की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक–1473/गो0, दिनांक–17.12.2006 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित/अनुशंसित किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्र के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, पीरबहोर के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका–10 अन्तर्गत आवेदक को कोई विशेष सुरक्षा भय होने की बात प्रतिवेदित नहीं की गयी है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 की कंड़िका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक **श्री मधुमेश चौधरी** को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा

भय/आशंका नहीं है तथा उन्हें एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-**11016/16/2009**, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक **श्री मधुमेश चौधरी,** पिता–श्री तारकेश्वर प्रसाद चौधरी, ग्राम–''आवरण'' चौधरी मार्केट, बी0एन0 कॉलेज के सामने, थाना–पीरबहोर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है। आवेदक यदि चाहें तो नये तथ्यों के साथ पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं, जिस पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

शस्त्र अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।